

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 473/2024

बीरबल कुमार लट्टा

—अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार,
सचिवालय, जयपुर एवं अन्य

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 29.02.2024

उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री धर्मेन्द्र फगेड़िया, अधिवक्ता

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-॥ के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी ने इस अपील में आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक-1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण विकास अधिकारी, पंचायत समिति, खैरवाड़ा, उदयपुर से विकास अधिकारी, पंचायत समिति, आनन्दपुरी, बांसवाड़ा किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या-4 को समंजित किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण केवलमात्र इस आधार पर किया गया है कि अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी को पदस्थापित किया जा सके। उनका तर्क है कि निजी प्रत्यर्थी को लाभ दिये जाने की गरज से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण किये जाने में कोई प्रशासनिक आवश्यकता नहीं थी। अपीलार्थी का यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी की पत्नी भी राजकीय सेवा में उदयपुर जिले में ही कार्यरत है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया जाना उचित नहीं है। स्थानान्तरण के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग का दिशा-निर्देश प्रभावी है, जिसमें यह प्रावधान है कि साधारणतया स्थानान्तरण चार वर्ष से पूर्व नहीं किया जाएगा, परंतु अपीलार्थी का स्थानान्तरण चार वर्ष से पूर्व किया गया है, जो उचित नहीं है।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
4. जहां तक स्थानांतरण के संबंध में जारी दिशा-निर्देश का प्रश्न है तो अपीलार्थी ने उक्त दिशा-निर्देश दिनांक 08.03.2017 (अनुलग्नक-3) के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रावधान है कि साधारणतया चार वर्ष से पूर्व स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। यह भी प्रावधान है कि विशिष्ट परिस्थितियों एवं राज्यहित में चार वर्ष से पूर्व भी राज्य सरकार की अनुमति से स्थानांतरण किया जा सकता है। वर्तमान स्थानांतरण राज्य सरकार द्वारा किया गया है, जिसे प्रशासनिक दृष्टि से किया गया स्थानांतरण आदेश होना माना जा सकता है। ऐसे में स्थानांतरण को तब तक अवैध होना नहीं माना जा सकता, जब तक उसमें कोई दुर्भावना होना प्रकट नहीं हो। अपीलार्थी का स्थानांतरण चार वर्ष से पूर्व अवश्य किया गया है, परंतु यह प्रकट नहीं होता है कि अपीलार्थी के स्थानांतरण में कोई प्रशासनिक आवश्यकता नहीं रही हो। जहां तक पति-पत्नी को एक साथ पदस्थापित रखे जाने का प्रश्न है, तो अपीलार्थी का स्थानांतरण इस आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता है कि अपीलार्थी की पत्नी भी राजकीय कर्मचारी के रूप में उसी स्थान पर पदस्थापित है।
5. प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने शिल्पी बस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :-

"In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer Order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer Orders are made in violation of any mandatory statutory Rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer Orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights. Even if a transfer Order is passed in violation of executive instructions or Orders, the Courts ordinarily should not interfere with the Order instead affected party should approach the higher authorities in the Department. If the Courts continue to interfere with day-to-day transfer Orders issued by the Government and its subordinate authorities, there will be complete chaos in the Administration which would not be conducive to public interest."

6. अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्थानान्तरण से होने वाली पारिवारिक परेशानियों का उल्लेख किया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस.एस.कौरव ((1995) 3 एस.सी.सी. 270) के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :-

"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such hardship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."

अतः इस संबंध में हमारे मत में स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप होने वाली व्यक्तिगत कठिनाइयों के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी अपनी पारिवारिक कठिनाइयों को दर्शाते हुए प्रत्यर्थी विभाग को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए सदैव स्वतंत्र है।

7. उपरोक्त समस्त विवेचना के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन होने से कारण इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

- 8.
9. 473/2024
10. स्थानान्तरण किया गया है।.....
- 11.
12. शिल्पी बोस.....
- 13.
14. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल नहीं पाते हैं।
अतः यह अपील खारिज की जाती है।
- 15.
16. 478/2024
17.स्थानान्तरण
18. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी ने अवैध खनन की शिकायत मिलने पर कार्यवाही की, इस कारण से अवैध खनन माफिया नाराज हो गये और उनके द्वारा राजनैताओं से मिलकर अपीलार्थी पर झूठे आरोप लगाए, जिस कारण से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। उनका यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजनीतिक दखल के कारण किया गया है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी संख्या-4 जो पूर्व में विधायक थे, उनके कहने पर अपीलार्थी का स्थानान्तरण हुआ है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा जाना बताया है, जिसकी प्रति अनुलग्नक-4 होना बताया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी का राजनीतिक आधार पर स्थानान्तरण किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थी ने अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत एवं न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया है। जिसमें यह माना गया है कि राजनीतिक संगठकों के दखल के कारण स्थानान्तरण किया जाना उचित नहीं है।
19. विचार
20. अपीलार्थी वर्तमान स्थान पर 2018 से कार्यरत है। ऐसे में वर्तमान स्थान पर समुचित समय 6 वर्ष पदस्थापित रखने के पश्चात अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। ऐसा कोई तथ्य हमारे सामने प्रकट नहीं हुआ है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण किये जाने में कोई दुर्भावना रही हो। प्रत्यर्थी संख्या-4 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा जाना अवश्यक कहा है, परन्तु यह प्रकट नहीं हुआ है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजनैतिक दखल के कारण किया गया हो और उसमें कोई प्रशासनिक आधार नहीं रहा हो। आलोच्य आदेश में

अपीलार्थी का स्थानान्तरण राज्यहित में प्रशासनिक आधार पर किया जाना अंकित है। अपीलार्थी के स्थानान्तरण में हम कोई दुर्भावना होना नहीं पाते हैं।

21. शिल्पी बॉस

अपील संख्या-454 / 2024

22. स्थानान्तरण किया गया है।

23. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी का पूर्व में आदेश दिनांक 16.02.2024 के द्वारा स्थानान्तरण किया गया था, जहां पर अपीलार्थी ने दिनांक 16.02.2024 को कार्य ग्रहण कर लिया था। इसके पश्चात 6 दिन बाद अल्प समय में अपीलार्थी का पुनः आलोच्य आदेश के द्वारा स्थानान्तरण किया गया है, जो उचित नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि निजी प्रत्यर्थी को लाभ देने की गरज से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, जो गलत है।

24. निजी प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्ता का तर्क रहा है कि भारतीय चुनाव आयोग ने लोक सभा चुनाव 2024 को दृष्टिगत रखते हुए स्थानान्तरण और पदस्थापन की जाने के सम्बन्ध में दिनांक 21.12.2023 को दिश-निर्देश जारी किये हैं, जिसमें मद संख्या 3 निम्न प्रकार से है :-

25. उनका यह भी तर्क है कि बाद में चुनाव आयोग ने यह स्पष्टीकरण भी दिया है कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से ऐसे कर्मचारियों को जो सीधे तौर पर चुनाव से सम्बन्ध रखते हो, उन्हें तीन वर्ष हो जाने पर लोकसभा चुनाव क्षेत्र से बाहर रखा जाए। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में तीन वर्ष से अधिक समय तक लोकसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यरत है। ऐसे में भारतीय चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है।

26. विचार किया

27. अपीलार्थी का पूर्व में आदेश दिनांक 16.02.2024 के द्वारा स्थानान्तरण किया गया था, परन्तु अपीलार्थी पूर्व में भी सवाईमाधोपुर जिले में रह चुका है। इस प्रकार अपीलार्थी उसी लोकसभा क्षेत्र में तीन वर्ष से अधिक समय से कार्यरत है। इसको दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी का गंगापुर सिटी पदस्थापित नहीं रखने की गरज से अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश के जरिये गंगापुर सिटी से अन्यत्र किया गया है। आलोच्य आदेश में हम किसी प्रकार की दुर्भावना होना नहीं पाते हैं।

28. परिणामस्वरूप इस अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

अपील संख्या -482/2024

29. स्थानान्तरण किया गया है।
30. अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी अल्प वेतनभोगी कर्मचारी है। उसका स्थानान्तरण 400 किमी दूर किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण निजी प्रत्यर्थी संख्या को अपीलार्थी के स्थान पर संमजित करने की दृष्टि से एवं निजी प्रत्यर्थी को लाभ देने की दृष्टि से किया गया है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि निजी प्रत्यर्थी के द्वारा सीकर में अपना स्थानान्तरण चाहा गया है एवं उसकी प्रार्थना पर उनका स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर किया गया है। ऐसे में स्पष्ट है कि निजी प्रत्यर्थी को लाभ दिया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अपीलार्थी के पिता हृदय रोग से पीड़ित है, ऐसे में अपीलार्थी को स्थानान्तरण से विभिन्न कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा।
31. विचार
32. किसी भी कर्मचारी का स्थानान्तरण उसकी प्रार्थना पर किया जाना तब तक गलत नहीं माना जा सकता जब तक उसमें कोई दुर्भावना नहीं रही हो। अपीलार्थी वर्तमान स्थान पर वर्ष 2018 से कार्यरत है। ऐसे में अपीलार्थी के समुचित समय तक पदस्थापित रहने के पश्चात उसका स्थानान्तरण किया गया है। हमारे सामने ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं हुआ है कि निजी प्रत्यर्थी का स्थानान्तरण किये जाने में कोई दुर्भावना रही है।
33. शिल्पी बॉस
34. पारिवारिकएस.एस. कौरव
- 35.

434/2024.....

36. स्थानांतरण आदेश.....
37. अपीलार्थी का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण जिला नीमकाथाना से पंचायत समिति फतेहपुर, जिला सीकर में किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी का स्थानांतरण एक जिले से दूसरे जिले में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि एक जिले से दूसरे जिले

में स्थानांतरण के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सीकर सक्षम नहीं है।

38. विचार.....
39. एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण के लिये पंचायती राज नियम-1996 का नियम-290 है। अपीलार्थी का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण से अपीलार्थी की वरिष्ठता प्रभावित होगी। ऐसे में आलोच्य आदेश अनुचित एवं अवैध है।
40. आलोच्य आदेश से प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में पंचायत समिति, नीमकाथाना में कार्यरत है। अपीलार्थी का स्थानांतरण पंचायत समिति, फतेहपुर जो सीकर जिले में किया गया है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानांतरण एक जिले से दूसरे जिले में किया गया है।
41. अतः अपीलार्थी द्वारा उठाया गया प्रश्न विचारणीय है।
42. अंतरिम रूप से यह आदेश दिया जाता है कि इस अधिकरण के आगामी आदेश तक आलोच्य आदेश दिनांक अपीलार्थी के स्थानांतरण की हद तक स्थगित रहेगा।चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।
43. स्टे.....
422/2024
44. स्थानांतरण.....
45. अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत है। ऐसे में अपीलार्थी जो कि लिपिकीय स्थापन का सदस्य है, उसकी सेवाओं के संबंध में धारा-(2)(iv) में प्रावधान रखा गया है। चूंकि अपीलार्थी लिपिकीय वर्ग स्थापन का कर्मचारी है। ऐसे में अपीलार्थी के संबंध में राजस्थान पंचायती राज नियम-1996 के नियम-290 के परंतुक में यह प्रावधान है कि106 पेज न.....
46. अतः उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण एक जिले से दूसरे में नहीं किया जा सकता है। वर्तमान स्थानांतरण चूंकि दांता रामगढ से पाटन किया गया है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानांतरण एक जिले से दूसरे जिले में किया गया है। पाटन नवगठित जिला नीमकाथाना में आता है, जबकि अपीलार्थी पूर्व में सीकर जिले में कार्यरत है। ऐसे में अपीलार्थी का सीकर जिले से नीमकाथाना जिले में स्थानांतरण किया जाना उपरोक्त प्रावधान के विपरीत है।

47. अपीलार्थी द्वारा उठाया गया प्रश्न विचारणीय है। अपीलार्थी के संबंध में पारित स्थानान्तरण आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक-1) की क्रियान्विति अधिकरण के आगामी आदेश तक अपीलार्थी के संबंध में स्थगित रहेगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी का नियमानुसार नये सिरे से स्थानान्तरण करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।
48. स्टे.....
- 49.
50. .
- 51.
52. 000000
53. अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थीगण पंचायत समिति अलसीसर में कार्यरत है एवं सभी अपीलार्थीगण का एक ही स्थानान्तरण आदेश से स्थानान्तरण हुआ है। सभी अपीलों में अपीलार्थीगण ने समान आधार दिये हैं। इस कारण से सभी अपीलों में यह समान आदेश पारित किया जा रहा है।
54. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थीगण का स्थानान्तरण जिला परिषद झुंझुनू द्वारा आदेश दिनांक 15.02.2024 द्वारा निम्न प्रकार से किया गया है:-
55. 000000000000000000 चार्ट
56. अपीलार्थीगण का मुख्य रूप से तर्क कि अपीलार्थीगण का स्थानान्तरण पंचायत समिति अलसीसर से अन्य पंचायत समिति में किया गया है, परंतु अपीलार्थीगण के स्थानान्तरण किये जाने में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा-89(8) की अवहेलना की गई है। उनका तर्क है कि अपीलार्थीगण का स्थानान्तरण किये जाने से पूर्व सम्बन्धित पंचायत समितियों के प्रधानों से परामर्श नहीं किया गया। अपीलार्थीगण की ओर से ग्राम पंचायत अलसीसर की पंचायत समिति की स्थापन समिति की बैठक दिनांक 19.02.2024 की बैठक की मिनिट्स की प्रति भी पेश की है, जिसमें पंचायत समिति अलसीसर के प्रधानों से सहमति नहीं लिया जाना माना गया है। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया है, जिसमें यह माना गया है कि ग्राम सेवक का एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में स्थानान्तरण बिना प्रधान से परामर्श किये स्थानान्तरण किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि राजस्थान सरकार पंचायती राज विभाग ने आदेश दिनांक 04.09.2006 जारी किया है, जिसमें स्थानान्तरण के संबंध में दिशा-निर्देश जारी

किये हैं, जिस आदेश का मद संख्या-2 निम्न प्रकार से है:-
0000000000000000 22222 000000000000

57. उपरोक्त आदेश के आधार पर अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का तर्क है कि राजस्थान सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में स्थानांतरण करने के लिये संबंधित प्रधानों से सहमति लिया जाना आवश्यक है। वर्तमान में पंचायत समिति अलशीसर के प्रधान से कोई सहमति नहीं लिया जाना स्पष्ट है। ऐसे में अपीलार्थीगण का स्थानांतरण नियमों की अवहेलना करते हुए पारित किया गया है। उपरोक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी के अधिवक्ता ने स्थानांतरण आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।
58. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि 0000000000000000 अंडरलाईन 00000000000000
59. प्रत्यर्थी विभाग के अधिवक्ता का तर्क है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 89(8) में नियुक्तियों का प्रावधान है। धारा 89(8) में स्थानांतरण का प्रावधान नहीं है। ऐसे में वर्तमान आदेश चूंकि स्थानांतरण से संबंधित है। ऐसे में अपीलार्थीगण के संबंध में धारा 89(8) का प्रावधान नहीं पढ़ा जा सकता। उनका यह भी तर्क है कि स्थानांतरण से संबंधित प्रावधान नियमों में रखा गया है। इसके संबंध में संबंधित नियम राजस्थान पंचायती राज नियम-1996 के नियम-289 व 290 है। नियमों में संबंधित प्रधानों से परामर्श किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में अपीलार्थीगण का स्थानांतरण उचित है।
60. हमने दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।
61. वर्तमान आलोच्य आदेश के जरिये अपीलार्थीगण को नई पंचायत समितियों में स्थानांतरण के आधार पर नियुक्ति दी गई हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 89(8)(ii) स्थानांतरण आदेश से नियुक्ति के संबंध में है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि वर्तमान आलोच्य आदेश में धारा 89(8)(ii) लागू नहीं होती। हमारे मत में अपीलार्थी के स्थान पर धारा 89(8)(ii) लागू होता है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 89(8)(ii) का प्रावधान निम्न प्रकार से है:- 00000000000000000000
62. उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि जहां नियुक्ति स्थानांतरण के द्वारा की गई है, उन मामलों में जब एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में नियुक्ति दी गई है, तो ऐसी नियुक्ति संबंधित पंचायत समिति के प्रधान से

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93. 0

94.